उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक D 3815 / / बार–12–17 / 2017 / से0पु0वे0नि0 जबलपुर, दिनांक 21 / 06 / 2019

प्रतिलिपिः–

1 रजिस्ट्रार (आई0टी0) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु ।

2 समस्त शासकीय सेवक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल, के पत्र क्रमांक एफ 8–1 / 2016 / नियम / चार दिनांक 06 जून, 2019 की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(डॉ0 आर0के0 मिश्रा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा)

Mukesh

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक एफ 8–1/2016/नियम/चार भोपाल, दिनांक 06 जून,2019

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
मध्यप्रदेश।

विषय :– मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 में स्पष्टीकरण बाबत।

***

म0प्र0 शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–8–1/2016/नियम/चार दिनांक 20 जुलाई 2017 द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों के लिये म0प्र0वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 तथा समसंख्यक परिपत्र दिनांक 22 जुलाई 2017 द्वारा वेतन निर्धारण संबंधी जारी निर्देश में विकल्प प्रस्तुत करने की समय सीमा एक माह तथा शासकीय सेवक द्वारा एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होना निर्धारित है।

2. सॉफ्टवेयर के माध्यम से शासकीय सेवक द्वारा विकल्प प्रस्तुत किये जाने की प्रक्रिया का प्रथम अवसर होने के कारण उत्पन्न व्यावहारिक कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए उपर्युक्त समय सीमा तथा एक अवसर की सीमा को वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 02–11–2017 से दिनांक 30–11–2017 तक तथा परिपत्र दिनांक 22–02–2018 से दिनांक 31 मार्च 2018 तक बढ़ाते हुये विकल्प प्रस्तुत करने के अवसर दिये गये थे।

3. शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय शासकीय सेवकों द्वारा उपयुक्त विकल्प तत्समय नहीं दिया जा सकने अथवा दिये गये विकल्प के अनुसार आई.एफ.एम.आई.एस.माड्यूल में प्रविष्टि में त्रुटि हो जाने के परिणामस्वरूप शासकीय सेवक को वेतन में निरंतर एवं दीर्घकालिक हानि की स्थिति बनी है।

4. अतः शासन द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए निर्णय लिया गया है कि शासकीय सेवक द्वारा पूर्व में दिये विकल्प को संशोधित/नवीन विकल्प प्रस्तुत करने का एक ओर अवसर दिया जाए। संशोधित/नवीन विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम समय सीमा दिनांक 31 जुलाई 2019 निर्धारित की जाती है।

5. पदोन्नत/समयमान वेतनमान प्राप्त करने वाले शासकीय सेवकों को पदोन्नति/समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण के मामलों में पदोन्नति/समयमान वेतनमान प्राप्त होने के दिनांक के एक माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति होगी।

5. पुनरीक्षित विकल्प ऑन लाईन ही स्वीकार किये जायेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय चौबे)
उप सचिव
म0प्र0शासन,वित्त विभाग

Rule-335

पृष्ठा.क्रमांक :एफ 8-1/2016/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 06 जून, 2019

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
4. महालेखाकार (लेखा और हकदारी) द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
5. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
8. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
9. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
10. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
11. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
12. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
13. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2 मंत्रालय, भोपाल (रिक्त)
14. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
15. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
16. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
17. मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के अधिकारी (स्थायी सूची अनुसार)
18. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

अवर सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग